बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

कार्यपरिषद

की द्वितीय बैठक

दिनांक 16.12.2010 के कार्यवृत्त

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-239037, Fax 07782-239037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक 1824 / ब.वि.वि. / 2010 जगदलपुर, दिनांक 26/01/2010

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की बैठक दिनांक 16.12.2010 के कार्यवृत्तः–

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24)

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

01.	प्रोफे. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर	–	अध्यक्ष
02.	माननीय श्री संतोष बाफना	–	सदस्य
03.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
04	श्री टी.के. राव,	–	सदस्य
05	श्री धर्मपाल सैनी,	–	सदस्य
06	फादर टी.जे. पॉल	–	सदस्य
07	प्रोफे. एस.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
08	प्रोफे. ए.एन. खान	–	सदस्य
09	डॉ. ए.के. नेमा	–	सदस्य
10	डॉ. डी.एन. मेहर	–	सदस्य
11.	डॉ. एस.आई. मेमन	–	सदस्य
12.	डॉ. (श्रीमती) व्ही.विजयलक्ष्मी	–	सदस्य
13.	डॉ. जे.के. जैन, कुलसचिव	–	सचिव

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के कार्य परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 16.12.2010 को संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गयाः–

विषय क्रमांक – 01

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 29.11.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

निर्णयः– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की प्रथम बैठक दिनांक 29.11.2010 के कार्य वृत्त की पुष्टि की गई। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि सर्व प्रथम विश्वविद्यालय के स्थापना व विकास मद को खर्च किया जावे ताकि छ.ग. शासन वित्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भविष्य में खर्च करने हेतु राशि दी जा सके। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि अगले वर्ष से विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में बैंक डी.डी. जमा करने हेतु निर्देश दिया जावे ताकि महाविद्यालयों को परेशानी न हो।

विषय क्रमांक–02

कुलपति एवं कुलसचिव हेतु वित्तीय अधिकार विनियम 108 में संशोधन बाबत्– दिनांक 30.09.2008 तक कुलपति को वित्तीय अधिकार एक लाख तथा कुलसचिव को वित्तीय अधिकार दस हजार रू. थे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में यह अधिकार बढ़ाकर कुलपति हेतु एक लाख पचास हजार रू. एवं कुलसचिव हेतु पचास हजार रू. वित्तीय अधिकार में वृद्धि की गई है। धारा 15(क) के अनुसार प्रथम कुलपति को दिनांक 01.10.2008 से लेकर दिनांक 30.09.2010 तक विश्वविद्यालय के समस्त परिषद एवं समितियों के अधिकार थे। अब दिनांक 01.10.2010 के पश्चात अनेक विषयों पर निर्णय समितियों तथा परिषदों के निर्णय के आधार पर कुलपतिजी को कार्य का निर्वहन करना आवश्यक हो गया है, अतः कार्यपरिषद् के निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। (प्रारूप 2 संलग्न है)

निणर्यः– कार्य परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि पूर्व कि भांति ही माननीय कुलपति महोदया को परिनियम क्र.108 में वित्तीय अधिकार 1.00 लाख रूपये ही रहेंगे।

विषय क्रमांक–03

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छ.ग. के विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.11.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन करना–(कार्यवृत्त दिनांक 24.11.2010 संलग्न है)

निणर्यः– विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.11.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 04 –

परीक्षा विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यालयीन समयावधि के पश्चात कार्य कराने पर पारिश्रमिक देय अनुमोदन के संबंध में–

विभागीय टीप–

पूरे भारत वर्ष में विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक रहती है। इसकी वजह से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 12 माह में अपना कार्य पूरा करना ही पड़ता है ताकि परीक्षा परिणाम एवं अंक सूची वितरण करने के पश्चात कक्षा का प्रारंभ सही समय पर हो सके। समय पर कार्य पूरा नहीं होने से पूरा समाज प्रभावित होता है।

इस हेतु कार्यालयीन अवधि के पश्चात कार्य करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अलग से पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई है। (प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न है)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दर			बस्तर विश्वविद्यालय हेतु नये दर की मांग
क्र.	देयक विवरण	दर (रू.में.) प्रति छात्र	प्रस्तावित दर (रू.में.) प्रति छात्र
01.	गणक पत्र लेखन	0.50	0.70
02.	गणक पत्र जांच	0.30	0.50
03.	अंकसूची लेखन	0.70	1.00
04.	अंकसूची जांच	0.50	0.70
05.	परीक्षा आवेदन–पत्र जांच	0.70	1.00
06.	कम्प्यूटर रोल लिस्ट जांच	0.70	1.00
07.	उपाधि लेखन (दोनों भाषा में)	3.00	5.00
08.	उपाधि जांच (प्रत्येक जांचकर्ता)	1.00	2.00
09.	नामांकन प्रपत्रों की जांच	0.60	1.00
10.	अंकसूची हस्ताक्षर	0.50	1.00
11.	परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण (लेखन एवं जांच)	1.00	2.00
12.	उपाधि शुल्क प्रमाणीकरण	0.60	1.00
13.	चतुर्थ श्रेणी – प्रति हजार आवेदन पत्र	100.00	200.00

निणर्यः– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा निर्धारित दर को ही बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर हेतु दर मान्य किया गया। नई प्रस्तावित दर अमान्य की गई।

विषय क्र. 05– परिनियम 01 में संशोधन–

विभागीय टीपः–

छठवां वेतनमान लागू होने के पश्चात परिनियम 01 में संशोधन होना आवश्यक हो गया है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने परिनियम 01 में संशोधन का प्रस्ताव कार्य परिषद द्वारा पारित किया जा चुका है उसी के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय भी संशोधन करना चाहता है। संशोधित प्रस्ताव संलग्न है, विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्र. 06 – परिनियम क्र. 03(5)(ई) के संबंध में–

विभागीय टीप–

परिनियम क्र.03 में कुलसचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य का उल्लेख किया गया है।

विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने पर परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाना ही उचित होगा। ऐसी स्थिति में कुलसचिव को परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य से मुक्त किया जाना उचित होगा। अतः परिनियम क्र. 03(5)(ई) में संशोधन हेतु प्रारूप–02 प्रस्तुत है।

निणर्यः– **निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम शासन को परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु लिखा जाये।**

विषय क्र. 07 –

परिनियम क्र. 20 में परीक्षा नियंत्रक पद को जोड़ना–

विभागीय टीप–

परिनियम क्रमांक 20 में विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के पदों को दर्शाया गया है। परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्ति की मांग की गई है, तब ऐसी स्थिति में परिनियम क्र.20 में परीक्षा नियंत्रक पद जोड़ना उचित होगा। प्रारूप–02 संलग्न है।

निणर्यः– **प्रस्ताव क्र.06 के अनुसार सर्वप्रथम कार्यवाही होने पर ही विचार किया जाये।**

विषय क्र. 08 –

छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय, सेवा के अधिकारों की पदस्थापना, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि समस्त कार्य पूर्व की भांति कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से होना–

विभागीय टीप–

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनिमय 1973 की धारा 13 के अनुसार कुलपतियों की नियुक्ति महामहिम कुलाधिपतिजी, राजभवन द्वारा की जाती है। कुलपतिगण महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारीगण की सेवाएं भी कुलाधिपतिजी के अधीन राजभवन से संचालित हो, तो बेहतर होगा, जैसे कि सन् 1999 के पूर्व कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से अधिकारियों की सेवाएं संचालित होती थी। इस हेतु राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 में संशोधन हेतु राज्य शासन को कार्य परिषद की मंशा को सूचित करना उचित होगा। निर्णय हेतु प्रस्तुत।

निणर्यः– कार्य परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि यह मामला शासन का है, अतः शासन के आदेश के अनुसार ही कार्यवाही की जावे।

विषय क्र. 09 –

केन्द्रीय क्रय समिति हेतु कार्य परिषद के एक सदस्य के चयन के संबंध में–

विभागीय टीप –

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु सन् 1997 से ही विनियम 108 लागू है। बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के द्वारा भी विनियम 108 को स्वीकार किया गया है, क्योंकि छ.ग. राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 02.09.2008 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा वही परिनियम, नियम एवं विनियम को अपनाना है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित है।

छ.ग. राज्य शासन ने सन् 2002 में भण्डार क्रय नियम लागू किया है। इसके अनुसार भी क्रय समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

बस्तर विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया है, परन्तु अभी तक कार्य परिषद की ओर से एक सदस्य का मनोनयन/नियुक्ति किया जाना शेष है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– **कार्य परिषद की ओर से बस्तर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति हेतु डॉ. डी.एन. मेहर, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर छ.ग. को मनोनित किया गया।**

विषय क्र. 10 –

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि साक्षात्कार समिति में होने बावत्–

विभागीय टीप–

आरक्षण अधिनियम 1994 एवं आरक्षण नियम 1998 के अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में अधिनियम की धारा 49 में संशोधन हो चुके हैं कि शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के वक्त इस संवर्ग का एक प्रतिनिधि साक्षात्कार समिति में रहे। छ.ग. राज्य में द्वितीय समन्वय समिति में निर्णय हुए हैं कि परिनियम 31 में आवश्यक संशोधन कर आरक्षण अधिनियम 1994 एवं आरक्षण नियम 1998 को अंगीकार किया गया है। समस्त विश्वविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में साक्षात्कार समिति में इन संवर्ग से एक प्रतिनिधि रखा जा रहा है, परन्तु शैक्षणिक पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार के वक्त इन संवर्ग से एक भी प्रतिनिधि को नहीं रखा जा रहा है। इसलिये आवश्यक होगा गया है कि धारा 49 में इन संवर्ग से साक्षात्कार में प्रतिनिधि रखने हेतु राज्य शासन को कार्य परिषद की मंशा को सूचित किया जावे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय क्र. 11 –

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि होने के संबंध में–

विभागीय टीप–

छ.ग. राज्य में 32 प्रतिशित अनुसूचित जनजाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 51 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। कुल 95 प्रतिशत इन संवर्ग से हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1992 के अनुसार नौकरियों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से प्रत्येक वर्ष पत्र आते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में उस अनुपात में प्रवेश दिया जाये, जिस अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उस राज्य में हैं।

चूंकि इन संवर्ग से 95 प्रतिशत जनता छ.ग. राज्य में है, इसलिये बेहतर होगा कि कार्य परिषद के सदस्य के रूप में इन संवर्ग से कम से कम एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 12 –

विनियम क्र. 108 में संशोधन (डॉ. विजय बघेल, कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. के पत्र दिनांक 27.11.2010 के संबंध में विचार करना)–

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति अपना कार्य कर रही है। डॉ. विजय बघेल जी, कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. बस्तर विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 27.11.2010 को प्राप्त हुआ है। डॉ. बघेल जी की मांग है कि रूपये 1.50 लाख तक के सामग्री की क्रय कोटेशन के आधार किया जाना उचित होगा, क्योंकि रा.से.यो. में राशि बहुत कम रहती है यदि निविदा आमंत्रित की जावेगी तो निविदा प्रकाशित करने में ही समाचार पत्रों को काफी राशि व्यय हो जावेगी। इसकी व्यवस्था रा.से.यो. में नहीं है।(पत्र की प्रति विचारार्थ संलग्न है) प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– प्रस्ताव को अमान्य किया गया तथा छ.ग. राज्य शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के अनुसार ही कार्य करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 13–

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा मांगे गये सेटअप की जानकारी–

विभागीय टीप–

विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्ष के बीच राज्य शासन से सेटअप हेतु मांग की गई है, परंतु अभी तक पूर्ण सेटअप राज्य शासन द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न है। इसके अलावा भी सदस्यगण अन्य पदों हेतु मांग सुझा सकते हैं। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत।

निणर्यः– **बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छ.ग. के द्वारा शासन को भेजे गये सेटअप से कार्य परिषद अवगत हुई।**

विषय क्र. 14–

उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकनकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के संबंध में–

विभागीय टीप–

वर्तमान में स्नातक स्तर के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 08 रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका मानदेय दी जाती है तथा स्नातकोत्तर स्तर के उत्तरपुस्तिकाओं हेतु रूपये 10/– प्रति उत्तरपुस्तिका मानदेय दी जाती है।

प्रस्तावित है कि स्नातक स्तर के उत्तर पुस्तिकाओं हेतु मूल्यांकन में रूपये 10/– प्रति उत्तरपुस्तिका तथा स्नातकोत्तर स्तर के उत्तर पुस्तिकाओं हेतु मूल्यांकन में रूपये 15/– प्रति उत्तरपुस्तिका मानदेय दिया जाना उचित होगा। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रचलित मानदेय ही लागू रहेगा।

विषय क्र. 15–

विश्वविद्यालय के कार्य हेतु स्वयं के कार के उपयोग के संबंध में यात्रा भत्ता का निर्धारण करने बावत्–

विभागीय टीप–

राज्य शासन में यह व्यवस्था है कि स्वयं के कार्य से शासकीय कार्य हेतु यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 3/– रूपये दर निर्धारित है।

प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय कार्य हेतु यात्रा करने वाले शिक्षकों/अधिकारियों को स्वयं के कार से यात्रा करने पर रूपये 5/– की दर से भुगतान की जावे, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि बस्तर क्षेत्र दूरस्थ होने की वजह से शिक्षक एवं अधिकारीगण विश्वविद्यालय के कार्य हेतु आना नहीं चाहते हैं। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत है।

निणर्यः– प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय क्र. 16–

प्रश्न पत्र प्रिंटर को ब्लेक लिस्ट करने के संबंध में सूचना–

विभागीय टीप–

इसके संबंध में अध्यक्ष महोदया, बैठक में जानकारी देंगी, क्योंकि यह गोपनीय तथ्य है।

निणर्यः– **विषय को कार्य परिषद के विषय सूची से निकालने हेतु सुझाव दिया गया क्योंकि प्रश्न पत्र प्रिंटर को पहले से ही ब्लैक लिस्ट किया गया है।**

विषय क्र. 17–

मुख्य परीक्षा सन् 2010 एवं पूरक परीक्षा सन् 2010 का कार्य करने वाले कम्प्यूटर केन्द्र को ब्लेक लिस्ट करने के संबंध में–

विभागीय टीप–

मुख्य परीक्षा सन् 2010 एवं पूरक परीक्षा सन् 2010 का परीक्षा परिणाम तैयार करने वाले कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा अनेक गलतियां की गई हैं। इसके संबंध में बैठक में जानकारी दी जावेगी, तत्पश्चात निर्णय लिया जावेगा।

निणर्यः– **मुख्य परीक्षा सन् 2010 एवं पूरक परीक्षा सन् 2010 के परीक्षा परिणाम तैयार करने वाले फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया गया।**

विषय क्र. 18–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर हेतु स्वयं का प्रेस स्थापित किये जाने के संबंध में–

विभागीय टीप–

पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना प्रेस होता है, जहां पर कि विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्रण के अधिकांश कार्य होते हैं। इस विश्वविद्यालय हेतु भी ऐसी व्यवस्था किया जाना उचित होगा प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत।

निणर्यः– **निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम मूल्यांकन की जावे।**

पूरक विषय सूची :–

विषय क्र. 01–

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छ.ग. के कार्य परिषद के सदस्यों को सिटिंग फिस रूपये 500/– से 1000/– रूपये वृद्धि करने के संबंध में।

विभागीय टीप–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छ.ग. के अधिसूचना दिनांक 22.10.2005 के अनुसार कार्य परिषद के सदस्यों को प्रत्येक बैठक हेतु 500/– सिटिंग फीस निर्धारित की गई थी। दिनांक 02.09.2008 को बस्तर विश्वविद्यालय, पं. रविशंकर शुक्ल

विश्वविद्यालय से अलग हुआ है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छ.ग. द्वारा दिनांक 03.06.2010 को नया अधिसूचना जारी करके सिटिंग फीस रूपये 500/– से बढ़ाकर रूपये 1000/– प्रति बैठक किया है। उसी के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्यों को भी सिटिंग फीस रूपये 500/– से वृद्धि करके रूपये 1000/– प्रति बैठक दिया जाना उचित होगा। उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय क्र. 02–

मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा सत्र 2009–10 के प्रश्न पत्र प्रिंटर को रूपये .... भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप–

विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र का प्रिंट कराना अत्यंत गोपनीय कार्य होता है। विश्वविद्यालय ने सत्र 2009–10 में मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा संपन्न कराया। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र प्रिंट कराया गया तथा प्रिंटर को रूपये .... भुगतान किया। कार्य परिषद कृपया सूचना ग्रहण करे।

निणर्यः– **मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा सत्र 2009–10 के प्रश्न पत्र प्रिंटर को भुगतान किये गये राशि की जानकारी कार्य परिषद सदस्यों को दी गई।**

विषय क्र. 03–

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छ.ग. के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 का अनुमोदन।

विभागीय टीप–

दिनांक 02.09.2008 को छ.ग. राजपत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें बस्तर विश्वविद्यालय को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अलग किया गया। दिनांक 01.10.2008 को माननीया कुलपति महोदया, अपना कार्यभार ग्रहण की। विगत दो वर्षो से विश्वविद्यालय स्थापना से संबंधित समस्त कार्य करती रही। सत्र 2009–10 को प्रथम बार विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा संपन्न कराया। इस प्रकार से बस्तर विश्वविद्यालय प्रथम बार वार्षिक प्रतिवेदन 2009–10 प्रकाशित किया है, जिसका अनुमोदन कार्य परिषद द्वारा किया जाकर, जनवरी 2011 में विधानसभा के पटल पर रखने हेतु भेजा जावेगा। कार्य परिषद इस प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदन करना चाहे।

निणर्यः– कार्य परिषद द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छ.ग. के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 से अवगत हुई तथा सुझाव दिया गया कि सुधारकर इसे विधान सभा के पास भेजा जावे।

विषय क्र. 04—

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छ.ग. का मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण करने के संबंध में।

विभागीय टीप—

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छ.ग. का मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण करने के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा भी अनेक बार विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा गया है, ताकि असामाजिक तत्वों का प्रवेश रात्रि को वर्जित किया जा सके। इस संबंध में रूपये 5.00 लाख का अतिरिक्त प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्य पालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.01 जगदलपुर, जिला—बस्तर छत्तीसगढ़ को दिनांक 21.07.2010 को पत्र लिखा जा चुका है, तथा स्मरण पत्र भी दिनांक 19.11.2010 को लिखा जा चुका है। कृपया कार्य परिषद प्रकरण से अवगत होना चाहें। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः— सर्वप्रथम कार्य पालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.01 जगदलपुर, जिला—बस्तर, छ.ग. से प्राक्कलन तैयार कराया जावे तथा नियमानुसार कुलपति को कार्य करने हेतु सुझाव दिया गया।

विषय क्र. 05—

ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, हेतु 2000 इम्प्रेस्ट मनी प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय टीप—

दिनांक 30.09.2010 के पूर्व माननीय कुलपति महोदया द्वारा छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(ए) का प्रयोग करते हुए अन्य अध्ययनशालाओं हेतु इंप्रेस्ट मनी का अनुमोदन किया जा चुका है। अब ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला हेतु इंप्रेस्ट मनी रूपये 2000/— दिया जाना उचित होगा ताकि छोटे—मोटे खर्च हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला स्वयं अपने विवेक से खर्च कर सके। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः— प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

विषय क्र. 06—

कुलपति की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

सुझावः—कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय हेतु रोड मैप तैयार करके शासन के पास भेजने हेतु कहा गया। कार्य परिषद को सूचित किया गया कि रोड़ मैप तैयार करके शासन के पास भेजा जा चुका है। सदस्यों द्वारा शिक्षा के स्तर को उंचा उठाने हेतु सुझाव दिया गया तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मार्गदर्शन के अनुसार शोध मार्गदर्शक के नाम मंगाने हेतु कहा गया। शिक्षकों के संविदा पदों पर स्थानीय लोगों को रखने हेतु सुझाव

दिया गया। श्री संतोष बाफना जी, विधायक जगदलपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि नये महाविद्यालयों के स्थापना न करते हुए वर्तमान में जो महाविद्यालय हैं उन्हीं में नये संकाय तथा पाठ्यक्रम खोलने हेतु जोर देने पर कहा गया, जिससे बिना शिक्षकों द्वारा अध्ययन की पद्धति को समाप्त किया जा सके।

sd/-
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 1825/ब.वि.वि./2010 — जगदलपुर दिनांक, 06/01/2010

प्रतिलिपि:–

01. माननीया कुलपति महोदया, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
03. कार्य परिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनार्थ।
04. बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)